INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सीमान्त सक्सेना
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट, अलीगढ़
ला०नं०— 71/79
ACC No 14165804

Certificate No.	:	IN-UP95361156588264U
Certificate Issued Date	:	31-Dec-2022 11:53 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14165804/ KOIL SADAR/ UP-ALG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14165804840938127217 14U
Purchased by	:	INTERNATIONAL ADV ORGANIZATION BY SUDHIR K SHARMA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	INTERNATIONAL ADV ORGANIZATION BY SUDHIR K SHARMA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	INTERNATIONAL ADV ORGANIZATION BY SUDHIR K SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

JD 0019791149

Statutory Alert:

INTERNATIONAL ADVOCATE ORGANIZATION

क्षेत्राधिकार-2 तहसील कोल जिला अलीगढ।

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

अदा स्टाम्प- 750 रुपए

ट्रस्ट का नाम : **International Advocate Organization** (इन्टरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन)

न्यास विलेख (ट्रस्ट) कार्यालय का पता परीतालाब इंदिरानगर खैर रोड अलीगढ़ (यूपी) (कार्यालय ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है, ट्रस्ट की कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है)

- आज दिंनाक 31/12/2022 को श्री सुधीर कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी शर्मा निवासी हस्तपुर थाना इगलास जिला अलीगढ़ (मुख्य ट्रस्टी) द्वारा यह न्यास विलेख निष्पादित किया गया हैं।

न्यास विलेख (ट्रस्ट) का कार्य क्षेत्र ट्रस्ट सम्पूर्ण विश्व के लिए है सभी राष्ट्रों के वकील संगठन में शामिल हो सकते हैं और सभी देशों के नागरिक हमसे जुड़ सकते हैं और अधिवक्ता सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन (इंडिया) इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट का हिस्सा है जो उपनिबंधक II, तहसील कोल अलीगढ में दिनांक 17/10/2019 को आवेदन संख्या- 201900755040003 के तहत पंजीकृत बही संख्या 4 पंजीकरण संख्या- 122, वर्ष 2019, को मुख्य न्यासी सुधीर कुमार शर्मा उपरोक्त के द्वारा यह न्यास विलेख निष्पादित किया गया था।

न्यास में लगाया गया धन एवं संपत्ति- न्यास में मुख्य न्यासी श्री सुधीर कुमार शर्मा ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं तथा मुख्य न्यासी मुबलिक 10,000 (दस हज़ार) रुपये की धनराशी न्यास को समर्पित की गयी है ।

विधि विलेख- भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार न्यास एक ऐसा आभार है जो संम्पत्ति के स्वामी में आवद्ध होता है तथा उसे सम्पत्ति के स्वामी द्वारा

घोषित अथवा स्वीकार किया जाता हैं सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तिओ के हित में अथवा लाभ के लिए ही स्वीकार करेगा।

न्यास के तत्व:- मुख्य न्यासी द्वारा न्यास का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है -

न्यास एक-प्रकार का आभार है और आभार से सम्पत्ति का जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध हैं न्यास का उदय विश्वास से होता हैं और प्रत्येक न्यास के लिए हिताधिकारियो का होना आवश्यक है न्यास का रचियता अपनी सम्पत्ति प्रदानं करके स्वामित्व का आभार आवद्ध करेगा इस प्रकार एक न्यास में आभारी न्यास हितधारी न्यास सम्पत्ति तथा सम्पत्ति क स्वामी द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति हैं ।

न्यास के उत्तराधिकारीः न्यास के उत्तराधिकारी श्री सुधीर कुमार शर्मा की वसीयत के अनुसार होंगे।

ट्रस्ट के सदस्य

Sno	Name	Father / Husband Name & Addresss	Address	Designation	Occupation
1	Mr Sudhir Kumar Sharma	Late Mr Krishan Murari Sharma	Gram Post Hastpur Thana Iglas Aligarh, U P	President/ Founder Chairman/	Advocate
2	Mrs Nisha Bharadwaj (Kusum Sharma)	D/o Mr Brij Bhusan Bharadwaj	Pari Talab Indira Nagar Khair Road Aligarh, U.P	Treasurer/Co-Founder	Politician
3	Mr Ajay Sharma	Mr Pramod Kumar Sharma	Pari Talab Indira Nagar Khair Road Aligarh, U.P	Secreatry/ Co-Founder	Lawer

दायरा

संगठन सम्पूर्ण भारत सहित दुनिया के सभी देशों में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन (भारत) जैसे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के नाम के साथ देश का नाम इसी तरह अन्य देशों के नाम उल्लिखित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में होगा। एवं पंजीकृत कार्यालय परीतालाब, इन्दिरा नगर खैर रोड, अलीगढ, उत्तर प्रदेश (भारत) एवं विभिन्न देश, राज्य संभाग, जिला, ब्लॉक, तहसील एवं न्यायालय स्तर, अध्यक्ष एवं महासचिव आदि मिलकर कार्यालय बनायेंगे जो कि राज्य की राजधानी, संभागीय जिले का मुख्यालय, ब्लॉक तहसील और अदालत की सीमा में होंगे या सीमा के करीब होंगे।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं हेतु अधिवक्ताओं के हित में अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन संघर्ष कर रहा है, यह संस्था ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था हैं जो किसी भी आवश्यक दस्तावेजों जैसे चेक, ऋण अनुदान पत्र, ड्राफ्ट, बिल वाउचर इत्यादि अध्यक्ष/महासचिव एवं कोषाध्यक्ष की सहमति से ही जारी होंगे और अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष की सहमति से ही अन्य सभी धन-संबंधी आवश्यक कार्य करेंगे।

जिसमे अंतिम निर्णय संस्थापक/ संरक्षक का होगा अध्यक्ष द्वारा सभी अधिवक्ताओं के लिए सेमिनार, अधिवक्ता सम्मलेन एवं समारोह आदि का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रशस्ति पत्र आदि का वितरण किया जायेगा।

संस्था का कार्य क्षेत्र:

अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन का कार्य क्षेत्र भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में होगा, संगठन भारत के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में कार्य करेगा, संगठन का कार्यालय सम्पूर्ण देश, राज्य, संभाग, जिला, ब्लॉक, तहसील और कोर्ट स्तर पर होगा लेकिन संगठन का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में होगा और कार्यालय में फेरबदल के लिए संस्थापक/ संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी। समय-समय पर विश्व भर की बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में यह अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। पदाधिकारियों एवं सदस्यों के पदों के लिए संगठन के सदस्य संस्था के माध्यम से प्रत्याशियो का प्रचार-प्रसार करेंगे, जिसमें संस्थापक संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी।

उद्देश्य

1 एक अनुकूल वातावरण के विकास सहित सम्पूर्ण विश्व के सभी अधिवक्ताओं के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी संगठन स्थापित करना। और सभी अधिवक्ताओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए काम करना जिसमें संगठन का मुख्य उद्देश्यस भी देशों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अनुसार कार्य करना हैं जिसमे अधिवक्ताओं के साथ होने वाले शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना है।

2 विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को न्यायालय का अधिकारी माना गया है, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अधिवक्ता को एडवोकेट एक्ट की परिभाषा में संशोधन कर कोर्ट ऑफिसर शब्द को जोड़ने की पहल कर जारी कराना।

3 संस्था का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सहयोग से विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जारी करवाना एवं जरूरतमंद अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के सहयोग से अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस अथवा गनर प्राप्त करवाना है।

4 अधिवक्ताओं के हित में विश्व के अन्य देशों सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम इस प्रकार जारी करवाना है कि अपराधियो द्वारा अधिवक्ताओं के विरुद्ध किये गये सभी प्रकार के अपराध जिनमें अधिवक्ता वादी है वह सभी अपराध गैर-जमानती माने जायेंगे और पीड़ित अधिवक्ता के बयान को अदालत में दर्ज करने के उपरांत ही जमानत पर निर्णय लिया जाए यदि अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी आपराधिक सूचना के संबंध में आईपीएस रैंक के अधिकारी की अनुमति के बिना कोई प्राथमिकी/कोई गिरफ्तारी नहीं की

जाए और एफआईआर दर्ज करने से पहले अपराध की जांच आईपीएस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर पुलिस को स्थानीय बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल की अनुमति लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अधिवक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही जमानत और गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जानी चाहिए और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को एससी/एसटी अधिनियम के समान शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

5 विश्व के सभी देशों सहित संपूर्ण भारत में जारी पुलिस कमीशन प्रणाली को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन द्वारा उचित औरआवश्यक कदम उठाना।

6 संपूर्ण भारत सहित विश्व के अन्य सभी देशों के सभी न्यायालयों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की समितियों, निकाय एवं निगम आदि में अधिवक्ताओं की भागीदारी, सभी राज्यों की विधान सभा एवं विधान परिषद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से लोकसभा और राज्यसभा में अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

7 यह सुनिश्चित करने के लिए कि 60 वर्ष की आयु के बाद, एक वकील को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में रु. 10,00,000/- (दस लाख रूपए) की एक मुश्त राशि और मासिक पारिवारिक पेंशन रु. केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अगले 5 वर्षों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल * पंजीकरण की तारीख से सेवानिवृत्ति की अवधि तक प्रत्येक अधिवक्ता को 50,000/- (पचास हज़ार रूपए) और जूनियर अधिवक्ता को 10,000 (दस हज़ार रूपए) प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार के सहयोग से विश्व के अन्य देशों सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में मासिक भत्ता एवं 50,000 (पचास हज़ार रूपए) प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता के रूप में दिया जाए।

8 सम्पूर्ण भारत सहित विश्व के अन्य देशों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सहयोग से अधिवक्ताओं के कल्याण एवं लाभ के लिए सेमिनार, प्रशिक्षण सत्र एवं सामाजिक कार्यक्रम/बैठक आदि आयोजित करना।

9 सभी न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं को नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए वातानुकूलित पक्के आराम दायक कक्षों का निर्माण, जहां यह उपलब्ध है उनको छोड़कर विश्व के सभी देशों सहित संपूर्ण भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के सहयोग से अधिवक्ताओ के बेठने के लिए कराया जाना चाहिए।

10. केंद्र/राज्य सरकार के सहयोग से विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत के सभी न्यायालय परिसरों में एडवोकेट लाइब्रेरी, एटीएम, बैंक, पोस्टऑफिस, रेलवे टिकट विंडो काउंटर एवं कैंटीन आदि की सुविधा स्थापित करना।

11 विश्व के समस्त देशों सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष में हवाई यात्रा हेतु वीजा एवं पासपोर्ट आदि जारी कराने हेतु केन्द्र राज्य सरकार के सहयोग से समस्त विश्व के अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करना।

12 अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष के सम्मानित अधिवक्ताओं को रेलवे वह वाई किराए में50% की छूट प्रदान की जाए तथा रेलवे व हवाई जहाज में आरक्षण आदि में प्राथमिकता एवं निःशुल्क वीआईपी गेस्ट हाउस की सुविधा केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से उपलब्ध कराई जाए।

13 विश्व के समस्त देशों सहित समस्त भारत वर्ष में अधिवक्ताओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना। संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित आयुष्मान योजना के तहत सभी अधिवक्ताओं के हित में पिता, माता, पत्नी और अधिवक्ता सहित दो बच्चों के लिए 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

14 अंतरराष्ट्रीयअधिवक्ता संगठन द्वारा केंद्र /राज्य सरकार के माध्यम से जरूरतमंद अधिवक्ताओं एवं कानून के छात्रों और एपीओ, पीसीएसजे, एचजेएस सहितअन्य प्रशिक्षण के लिए सशुल्क/निशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करवाना।

15 न्यायालय खुलने के समय यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुनिया के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत के सभी न्यायालयों में मल्टी-स्पेशियलिटी, इन-पेटेंट और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।

16 विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत में केंद्र/राज्य सरकार के सहयोग से सभी अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क टोल-पास एवं टोल बूथ सुविधा तथा निःशुल्क पार्किंग सुविधा सुनिश्चित करवाना।

17 विश्व के समस्त देशों सहित सम्पूर्ण भारत के राज्यों के जिलों में अपने मुवक्किलों/ केदियों को विधिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के थाने में भ्रमण के दौरान उनके बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें अथवा केंद्र/राज्य सरकार के सहयोग से जिला कारागार में अधिवक्ताओ के लिए केदियों से मुलाकात के दोरान उचित व्यवस्था करायी जाए।

18 भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन के माध्यम से एडवोकेट कॉलोनियां व सोसायटियां भी बनाई जाएंगी, जिसके लिए संस्था काम कर रही है।

19 अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन अपने संगठन के सदस्यों को वाहन स्टिकर/ग्रीन कार्ड आदि जारी करेगा ताकि संगठन के सदस्य दुनिया के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत में यात्रा करते समय अनावश्यक रूप से अधिवक्ताओं के वाहन को न रोकें और इसके लिए अधिवक्ताओ को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

Sharma

20 विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में सभी अधिवक्ताओं को 25 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

21 विश्व के समस्त देशों सहित समस्त भारतवर्ष के समस्त अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर के करीब या न्यायालय परिसर में अतिथि गृह बनाकर अतिथि अधिवक्ताओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

22 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से विश्व के सभी देशों सहित समस्त भारतवर्ष के समस्त अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता मृत्यु राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करना।

23 विश्व के सभी देशों सहित भारत के विभिन्न जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के 11 सदस्यों की टीम गठित कर अधिवक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना।

24 अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के माध्यम से विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में अधिवक्ताओं के हित में आमूल-चूल परिवर्तन लाना तथा संगठन के केन्द्रीय एवं राज्य पदाधिकारियों को केन्द्र / राज्य में राज्य मंत्री का दर्जा दिलाना सुनिश्चित करना।

25 विश्व के सभी देशों सहित सम्पूर्ण भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के सहयोग से न्यायालय प्रशासन एवं संबंधित बार संघों की कड़ी निगरानी में न्यायालय परिसर में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ कैंटीन आदि सुनिश्चित करना।

संगठन की स्थापना

अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन न्यायालय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अधिवक्ताओं के एक कार्यकारी निकाय का गठन करेगा।

जिसका स्तर निम्न होगा

(1) अंतर्राष्ट्रीय स्तर

(2) राष्ट्रीय स्तर

(3) क्षेत्रीय स्तर

(4) राज्य स्तर

(5) मंडल स्तर

(6) जिला स्तर

(7) ब्लॉक स्तर / तहसील स्तर

(8) न्यायालय स्तर

संस्था के संस्थापक की सहमति से संस्था के विभिन्न प्रकोष्ठ होंगे।

(1) महिला विंग

(2) युवा प्रकोष्ठ (यूथ विंग)

संस्था के संस्थापक एवं अन्य सदस्य:-

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन में एक संस्थापक तथा दो सह-संस्थापक होंगे जो संस्था के संविधान के वाहक होंगे तथा मुख्य संस्थापक के दिशा-निर्देशों केअनुसार कार्य करेंगे। अंतिम निर्णय संस्थापक का होगा। संस्थापक के सहयोग के लिए प्रत्येक स्तर पर 5 -11 संरक्षक होंगे, जिन का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इसके अलावा 2 वर्ष के लिए प्रत्येक स्तर पर 5-11 संरक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो अधिवक्ताओं के अलावा राजनीति विज्ञान, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होंगे और जिनकी आयु कम से कम 50 वर्ष सेअधिक होगी संरक्षक की संख्या प्रत्येक स्तर पर घट या बढ़ सकती हैं।

संस्थापक:-

संगठन का मुखिया संस्थापक होता है, जो संगठन की स्थापना करता है, संगठन से संबंधित सभी कार्य संस्थापक की सहमति से किए जाते हैं। संस्थापक के सहयोग के लिए सह-संस्थापक और संरक्षक नामित किये जायेंगे।

सह संस्थापक-

संस्थापक की अनुपस्थिति में, सह-संस्थापक संगठन के सभी कार्य करता है और संस्थापक की उपस्थिति में संस्थापक का सहयोग करता है।

संस्थापक के कार्य:

संस्था की ओर से सभी प्रकार की बैठकें बुलाना, समस्त प्रचार-प्रसार करना तथा इस की जानकारी संबंधित पदाधिकारी आदि तक पहुँचाना। बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करना एवं प्राप्त करवाना, दान अनुदान एवं सदस्यता शुल्क आवश्यकता अनुसार प्राप्त करना तथा संस्था के हित में प्रचार एवं गठन में संस्था की ओर से भ्रमण इत्यादि में सम्मिलित होना।

संरक्षक:-

संस्थापक की अनुपस्थिति में संस्था के सभी कार्य संरक्षक की देखरेख में होंगे तथा उन कार्यों पर अंतिम निर्णय संस्थापक की तरह ही संरक्षक का होगा। संस्था में संरक्षक की नियुक्ति संस्थापक द्वारा की जायेगी तथा संस्था के संविधान में संशोधन का अधिकार संस्थापक का होगा तथा संस्थापक की अनुपस्थिति में संरक्षक उस कार्य को पूर्ण करेगा तथा संरक्षकों की संख्या 1 से 11तक हो सकती है

संगठन के पदाधिकारी जिनके पद एवं पदों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

(1) अध्यक्ष - 1	(12) महासचिव - प्रशासन – 1	(23) सह संयोजक - 5-11
(2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष -1	(13) महासचिव - न्याय एवं विधि - 1	(24) प्रभारी - 1
(3) उपाध्यक्ष - प्रशासन - 1		(25) सह प्रभारी - 5-11
(4) उपाध्यक्ष - न्याय और विधि - 1	(14) महासचिव - वित्त - 1	(26) प्रवक्ता - 5-11

(5) उपाध्यक्ष - वित्त - 1	(15) महासचिव - संगठन - 1	(27) मुख्य मीडिया प्रभारी - 1
(6) उपाध्यक्ष-संगठन-1	(16) महासचिव - प्रचार - 1	(28) मीडिया प्रभारी - 5-11
(7) उपाध्यक्ष-प्रचार-1	(17) सचिव - प्रशासन - 1	(29) मुख्य सलाहकार - सूचना प्रौद्योगिकी - 1
(8) कोषाध्यक्ष - 1	(18) सचिव - न्याय एवं विधि - 1	
(9) सह कोषाध्यक्ष - 2	(19) सचिव - वित्त - 1	(30) सलाहकार - सूचना प्रौद्योगिकी - 5-11
(10) मुख्य कानूनी सलाहकार - 1	(20) सचिव - संगठन - 1	(31) कार्यकारिणी सदस्य - 11
(11) कानूनी सलाहकार - 5-11	(21) सचिव प्रचार - 1	
	(22) संयोजक - 1	

उपरोक्त पद के पदाधिकारियों की संख्या विभिन्न स्तरों पर और अलग-अलग समय पर घट या बढ़ सकती है।

<u>संस्था के पदाधिकारियों के कार्य।</u>

<u>अध्यक्ष-</u>

अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पदाधिकारीओ का सहयोग करेंगे, परामर्श लेंगे, अपने स्तर से दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे और अपने अधिवक्ताओ की समस्या का समाधान करेंगे। न्यायालय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सहयोग देकर समस्या का समाधान किया जायेगा तथा अध्यक्ष सहित अन्य स्तर के पदाधिकारी एवं सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग करेंगे तथा संगठन को मजबूत करेंगे एवं सहयोग करेंगे अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान करेगा या समाधान करने का प्रयास करेगा।

अध्यक्ष का अपने दौरे पर जाना आवश्यक होगा, उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार आ जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त उनके महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से समारोह आदि होंगे उनमे सभी अधिवक्ता सदस्यों व पदाधिकारियों के लिए समारोह इत्यादि का आयोजन किया जायेगा जिनमे प्रशस्तिपत्र आदि का वितरण किया जाएगा।

<u>वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य:-</u>

अध्यक्ष कीअनुपस्थिति मेंअध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यों का सम्पादन करना एवं उपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना।

<u>कोषाध्यक्ष/सहकोषाध्यक्ष के कार्य:-</u>

संस्था के आय-व्यय का विवरण रखेंगे, बिलों का भुगतान आदि करेंगे, संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा कराएंगे।

अध्यक्ष और महा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों और चेकों का भुगतान करेंगे।

संस्था की ओर से चंदा अनुदान आदि प्राप्त कर उस की रसीद देंगे।जिसका विवरण वर्ष की अंतिम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

कोषाध्यक्ष के तिरिक्त प्रत्येक स्तर पर सहकोषाध्यक्ष होंगे, जिनकी योग्यता के आधार पर सीए लेखाकार, जीएसटी, बिक्री सेवाकर, बिक्रीकर, आयकर अधिवक्ता आदि को नियुक्त किया जायेगा।

संस्था के मुख्य कानूनी सलाहकार और कानूनी सलाहकार के कार्य।

संस्था के सभी अधिवक्तागण आवश्यकता पड़ने पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कानूनी सलाह एवं जानकारी प्रदान करेंगे, चाहे वह उन पर विश्वास करें या न करें, यह अधिकार संस्था के पदाधिकारियों का होगा और उस सलाह को मानने एवं ना मानने का अंतिम निर्णय संस्थापक का होगा। कानूनी सलाहकार संगठन का प्रचार करेंगे और नए सदस्यों को संगठन से जोड़ने का काम करेंगे।

महासचिव:-

महासचिव अध्यक्ष के साथ मिलकर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को सहयोग करेगा, परामर्श लेगा, अपने स्तर से भ्रमण करेगा, कार्यों का अवलोकन करेगा और समस्या का समाधान करेगा। महासचिव द्वारा न्यायालय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सहयोग कर संगठन के सदस्यों की समस्या का समाधान किया जायेगा तथा महासचिव के साथ-साथ अन्य स्तर के पदाधिकारी एवं सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग कर संगठन को मजबूत करेंगे तथा समस्या के समाधान में अध्यक्ष का सहयोग, सभी अधिवक्ता सदस्य करेंगे। महासचिव का अपने दौरे पर जाना आवश्यक होगा, उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकताअनुसार आ-जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त महासचिव, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से समारोह आदि आयोजित किये जा सकते हैं सभी अधिवक्ताओं एवं अधिवक्ता सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु सम्मारोह का आयोजन किया जायेगा, प्रमाणपत्र आदि वितरित किए जाएंगे। संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे चैक, ऋण अनुदानपत्र, ड्राफ्ट, बिल वाउचरपर अध्यक्ष,महा सचिव एवं कोषाध्यक्ष की सहमति से ही जारी किये जायेंगे, अन्यजो भी आवश्यक होगा वह कार्य भी करेंगे। जिसका अंतिम निर्णय संस्थापक का होगा।

महासचिवप्रशासनिक:

प्रशासनिक संबंधी कार्य महासचिव द्वारा किया जाता है संगठन में अधिवक्ताओं के हित में प्रशासनिक प्रशासन तथा संगठन में अनुशासन बनाए रखना प्रशासनिक महासचिव का कार्य है इसके अतिरिक्त संगठन में अध्यक्ष के कार्य में सहयोग करना व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई करना महासचिव प्रशासनिक का काम है

महासचिव न्याय एवं विधि:-

महासचिव न्याय एवं विधि अपने सदस्यों के हित में न्यायिक कार्य करता है तथा महासचिव न्याय एवं विधि का कार्य संगठन के समस्त पदाधिकारियों सहित अध्यक्ष के कार्य में सहयोग करना होता है।

महासचिव वित्त:-

महासचिव वित्त का मुख्य कार्य संगठन के कार्यभार को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की व्यवस्था करना तथा कोषाध्यक्ष एवं सहकोषाध्यक्ष को धन सम्बन्धी कार्यों में सहायता करनात था अध्यक्ष के निर्देशानुसार संगठन में कार्य करना है और अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना हैं।

महासचिव संगठन कार्य:-

महासचिव संगठन का मुख्य कार्य सभी सदस्यों को संगठन की नीतियों विस्तारऔर विकास में सहयोग करना है। संगठन को मजबूत करना है। एवं सदस्यता अभियान चला कर नये सदस्य बनाना एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार कोषाध्यक्ष के माध्यम से कोष में जमा कराना एवं संस्था के सदस्यों को संस्था की नीतियों एवं संस्था के विकास कार्यों से अवगत कराना जिसमें अध्यक्षऔर सभी महासचिव और सभी उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना हैं।

महासचिव प्रकाशन के कार्य:-

अध्यक्ष एवं महासचिव के सहयोग के साथ-साथ महासचिव संगठन को भी संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का सहयोग करना चाहिए तथा संगठन की नीतियों विस्तार एवं विकास में संगठन को सहयोग देना चाहिए तथा संगठन को मजबूत करना चाहिए। एवं सदस्यता अभियान चला कर नये सदस्य बनाना एवं संगठन के सदस्यों को संगठन की नीतियों से अवगत कराना। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एवं स्वयं अधिवक्ताओं के साथ संस्था का प्रचार-प्रसार करना एवं उन्हें संस्था का सदस्य बनाना।

संगठन में सचिव के कार्य:-

संगठन में सभी प्रकार के सचिवों का मुख्य कार्य संगठन की नीतियों विस्तार और विकास में सहयोग करना है। संगठन को मजबूत करना है। एवं सदस्यता अभियान चलाकर एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त कर कोषाध्यक्ष के माध्यम से कोष में जमा कराकर नये सदस्य बनाना एवं संस्था के सदस्यों को संस्था की नीति एवं समस्त महासचिव एवं समस्त उपाध्यक्षों को अवगत कराना। संस्था के विकास में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के कार्यो में सभी प्रकार के सचिवों का मुख्य कार्य सहयोग करना है।

संयोजक एवं सहसंयोजक के कार्य:-

संस्था से जुड़े अधिवक्ताओं को संस्थाहित में संयोजक एवं सहसंयोजक नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ही अध्यक्ष, महासचिवव अन्यपदाधिकारी के कार्यो में भी सहयोग

करेंगे।इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से संस्था का प्रचार-प्रसार करेंगे तथा संस्था के सभी सदस्यों को आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

प्रभारी एवं सहप्रभारी के कार्य:-

प्रभारी सहप्रभारी अध्यक्ष/महासचिव के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सहयोग करेंगे। प्रचार-प्रसार के साथ-साथ नवीन सदस्यता अभियान के माध्यम से संस्था * नए सदस्यों को संगठन से जोड़ा जायेगा तथा संस्था से जुड़े अधिवक्ताओं को संस्था हित में सहयोग किया जायेगा। नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ही अध्यक्ष, महासचिव व अन्य पदाधिकारी के कार्यो में सहयोग करेंगे। इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से संस्था का प्रचार-प्रसार करेंगेत था संस्था के सभी सदस्यों को आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

प्रवक्ता के कार्य:-

अध्यक्ष एवं महासचिव की सहमति से संस्था के सदस्यों की समस्त नीतियों को अधिवक्ता के हित में अवगत कराना तथा अन्य सभी पदाधिकारियों को संस्था के विकास में सहयोग देना एवं संस्था की नीति एवं उद्देश्यों का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।

मुख्य मीडिया प्रभारी एवं मीडिया प्रभारी के कार्य:-

अध्यक्ष, महासचिव एवं महासचिव संगठन का भी सहयोग करेगा तथा संगठन की नीतियों, विस्तार एवं विकास में संगठन का सहयोग करेगा। और संगठन को भी मजबूत करेगा। तथा समय-समय पर सदस्यता अभियान चला कर नये सदस्य बनाना एवं संगठन के सदस्यों को संगठन की नीतियों से अवगत कराना। तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संगठन की नीतियों का प्रचार-प्रसार करना, नई बैठकें बुलाना, भ्रमण आदि की जानकारी अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों को देना मुख्य मीडिया प्रभारी एवं मीडिया प्रभारी के कार्य हैं।

मुख्य सलाहकार-सूचना प्रौधोगिकी एवं सलाहकार-सूचना प्रौधोगिकी केकार्य:-

संगठन में मुख्य सलाहकार सूचना प्रौधोगिकी का मुख्य कार्य आईटी से संबंधित है, जैसे कि वेबसाइट का रख रखाव, वेबसाइट पर सदस्यों का संचालन और पंजीकरण, सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को उनके आई कार्ड एवं सर्टिफिकेट जारी करना और आई.टी के माध्यम से संस्था के कार्यक्रम समारोह आदि की रुपरेखा तैयार करना, अध्यक्ष एवं महासचिव के साथ चर्चा करना तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यों में अध्यक्ष एवं महासचिव का सहयोग करना। इसके अलावा संस्था के सभी कार्यों पर आवश्यकताके अनुसार नजर रखना मुख्य कार्य है।

कार्यकारिणी सदस्य के कार्य:-

अध्यक्ष एवं महासचिव के निर्देशानुसार आम जनता को संगठन की नीतियों से अवगत कराना एवं सभी पदाधिकारियों का सहयोग करना, संगठन का प्रचार-प्रसार करना एवं नये अधिवक्ताओं को संगठन का सदस्य बनाना।

संगठनमेंपदाधिकारियोंकाकार्यकाल:-

संस्था में संरक्षक को छोड़कर सभी पदाधिकारियोंकाकार्यकाल2 वर्ष, संरक्षकएवंअंतरराष्ट्रीयअध्यक्षकाकार्यकाल5 वर्षहोगा।

सदस्यता के लिए आवश्यक दस्तावेज

(1) आधार कार्ड कॉपी।

(2) स्टेट बार काउंसिल सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड।

(3) कोर्ट यूनिफॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो

निम्न खाता संख्या के माध्यम से

बैंक हस्तांतरण खाता संख्या 2204000106203411

कोड PUNB0656200

खाते का नाम अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन (International Advocate Organization)

बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, जी टी रोड, अलीगढ़

जी-पेटू

फोन पे

आई ए ओ की समिति योजना

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन अपने अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे रोजगार, अन्य प्रकार के निरीक्षण एवं योजना आदि का लाभ प्राप्त करने या अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए या अधिवक्ताओं के हित में आदि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन सभी स्तरों पर 11 सदस्यों की छोटी-छोटी समितियाँ तैयार करेगा। ऐसी सभी समितियों द्वारा किये गये कार्य एवं निरीक्षण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा अंतिम निर्णय संस्थापक / संस्थापक का होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के कार्य:-

A. संगठन में खाता खोलने की प्रक्रिया- विभिन्न स्तरों पर संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर न्यायालय स्तर तक संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त बैंक डाकघर इत्यादि में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मिलकर खोलेंगे यह खाते संस्था के संस्थापक की सहमति से ही खोले जा सकेंगे और समय खाता अलग-अलग स्तरों पर पदाधिकारियों के समय-समय पर परिवर्तन होने पर नए पदाधिकारियों का खाता में नाम परिवर्तित होता रहेगा । विशिष्ट परिस्थितियों में संस्थापक के द्वारा तय किया गया नाम उपरोक्त खाते में मान्य होगा। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मिलकर

लेन-देन संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा करेंगे। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, खाते से संबंधित पूरी प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष शामिल होंगे।

B. आई ए ओ द्वारा अधिवक्ताओ के हित में रोजगार सुविधा:-

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के माध्यम से संस्था के पंजीकृत सदस्यों को सरकारी, अर्द्धशासकीय निजी संस्थाओं, दफ्तरों, कंपनियों, निगमों आदि में सम्पूर्ण विश्व में रोजगार मिलेगा और उन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जायेगा, तथा संस्था उपरोक्त अधिवक्ता सदस्यों की टीम बनाकर सम्पूर्ण विश्व में जिला स्तर पर नियुक्त करवाएगी, जिसके माध्यम से जिला स्तर के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एवं संस्था के प्रत्येक पंजीकृत सदस्य अधिवक्ता को रोजगार प्राप्त होगा ऐसे अधिवक्ता संस्था को प्रतिमाह एक निश्चित राशि दान करेंगे जिसे संस्था के विभिन्न कार्यों में व्यय किया जायेगा।

C.अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के अधिवक्ताओं के हित में वर्तमान कार्य एवं भविष्य की योजनाएँ:-

उपरोक्त संगठन(ट्रस्ट) के माध्यम से समस्त अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों के हितार्थ विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, रोजगार योजना, चिकित्सालय, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम सम्पूर्ण भारत में एवं दुनिया में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन(IAO) कीमासिक पत्रिका, दैनिक समाचार पत्र, टीवी चैनल, वेब चैनल और टीवी और फिल्म निर्माण जारी करने की योजना है। अनाथालय सहित सम्पूर्ण परिवार को बीमा एवं स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ एवं समस्त अधिवक्ताओं को एवं उपरोक्त ट्रस्ट का क्रियान्वयन अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के नाम से सहमति से होगा। अध्यक्ष/संस्थापक व अन्य पदाधिकारीगण सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनार एवं अन्य आवश्यक कार्य क्रम भी संस्था के नाम से करेंगे, इसमें संस्थापक/ संरक्षक की पूर्ण सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, इसके अतिरिक्त आवश्यक योजनायें भी जारी की जायेंगी।

(I) इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक अपना एक अपना खाता प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त खाता खोला जाएगा जो समय-समय पर मौजूदा पदाधिकारियों के नाम पर परिवर्तित होता रहेगा और उपरोक्त खाता द्वारा लेन - देन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की आगामी योजनाएं - (1)इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन में आजीवन सदस्यता वाले सदस्य को संगठन द्वारा डेथ क्लेम व हेल्थ क्लेम से इंश्योर्ड व सुरक्षित किया जायेगा (2) संगठन का धर्मार्थ कोष(दान फंड) - संगठन का एक धर्मार्थ कोष(दान फंड) होगा उपरोक्त धर्मार्थ कोष(दान फंड) में प्रत्येक अधिवक्ता मिनिमम ₹100 से लेकर इच्छा अनुसार प्रतिमाह दान करेगा उपरोक्त उपरोक्त रुपया निम्न प्रकार अधिवक्ताओं के कार्य हेतु उपयोग में लाया जाएगा जैसे :- (A) किसी भी अधिवक्ता की बेटी की शादी में कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्णय अनुसार उस जिले के जिला

अध्यक्ष जिला महासचिव ,कोषाध्यक्ष, महासचिव संगठन ,सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ,जिला संयोजक व जिला प्रभारी मुख्य विधिक सलाहकार, महासचिव प्रचार प्रसार, सचिव मीडिया प्रभारी आदि अन्य पदाधिकारियों सहित 11 सदस्यों की समिति की सहमति से लिखित अनुमोदन के पश्चात उस माह की जमा की गई राशि का 25 प्रतिशत ,प्रदान किया जाएगा। जो दान स्वरूप होगा। (B)किसी भी अधिवक्ता की बेटे - बेटी की पढ़ाई लिखाई बीमारी परेशानी आदि में कार्यकारिणी के पदाधिकारियो के निर्णय अनुसार उस जिले के जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव ,कोषाध्यक्ष, महासचिव संगठन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ,जिला संयोजक व जिला प्रभारी मुख्य विधिक सलाहकार, महासचिव प्रचार प्रसार मीडिया प्रभारी की सहमति से लिखित अनुमोदन के पश्चात उस माह की जमा की गई राशि का 25 प्रतिशत तक ,प्रदान किया जाएगा और उस धनरशि को अधिवक्ता द्वारा न्यूनतम ब्याज सहित वापस करना होगा जिसकी अदायगी की जिम्मेदारी जिला कमेटी की ही होगी। (C) संगठन के अधिवक्ता सदस्य की मृत्यु अथवा बीमारी इत्यादि पर 25% तक की धनराशि जिला अध्यक्ष महासचिव व कोषाध्यक्ष की सहमति से तुरंत प्रदान की जाएगी और आवश्यक औपचारिकताएं धनराशि प्रदान करने के पश्चात पूर्ण की जाएंगी जिसमें पूर्ण सहमति संगठन के संस्थापक की होगी। (D) शेष 25% धनरासी संगठन की बैठक सांस्कृतिक प्रोग्राम अधिवक्ताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम ,संगठन के दौरे इत्यादि अन्य मद में खर्च की जाएगी।

संगठन के युवा एवं महिला प्रकोष्ठ जिनकी पद संख्या कम एवं ज्यादा हो सकती है। इसके अतिरिक्त भविष्य में आवश्यकता के अनुसार भी कार्यकारिणी बनाई जा सकती है और विभिन्न स्तर पर अन्य प्रकोष्ठ भी बनाए जा सकते हैं। तथा इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त अधिवक्ता गणों को केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए के ग्रुप, मृत्यु एवं स्वास्थ्य बीमा से बीमित कराया जाएगा और इस दायरे में अधिवक्ता के अलावा अधिवक्ता के माता पिता पत्नी तुम दो बच्चों को रखा जाएगा।

इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ता गणों के हित में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के लिए संघर्ष रत है यह संस्था एक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों जैसे चेको, ऋण अनुदान पत्रों, ड्राफ्टो, बिल बाउचर पर अध्यक्ष/महासचिव और कोषाध्यक्ष की सहमति से ही जारी होंगे, अन्य जो भी आवश्यक हो कार्य करेंगे।
जिसका अंतिम निर्णय संस्थापक का होगा
अध्यक्ष द्वारा समस्त अधिवक्ताओं के लिए समारोह आदि आयोजित किए जाएंगे जिसमें प्रशस्ति प्रमाण पत्र आदि वितरित किए जाएंगे
संस्था के कार्य क्षेत्र --इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्षेत्र भारत सहित संपूर्ण विश्व में होगा, संगठन भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में कार्य करेगा संगठन के कार्यालय

प्रदेश संभाग जनपद ब्लॉक तहसील स्तर पर होंगे संगठन का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में होगा और कार्यालय परिवर्तन पर संस्थापक/ संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी। समय समय पर सम्पूर्ण विश्व में बार काउंसिल एवं बार एसोसिएशन मे पदाधिकारी एवं सदस्यों के पदो हेतु अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और संगठन के माध्यम से उनका प्रचार-प्रसार करेगी जिसमें संस्थापक ही सहमति आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन की सदस्यता:-

अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन की सदस्यता - अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन में संगठन की सदस्यता लेने वाले अधिवक्ता सदस्यों को चार भागों में बांटा गया है और सदस्यता ग्रहण करने पर अधिवक्ता सदस्य को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे- (अ) आजीवन सदस्य (ब) साधारण सदस्य (स) विशिष्ट (विशेष) सदस्य (घ) ईडब्ल्यूएस सदस्य (क) आजीवन सदस्य :- संस्था के आजीवन सदस्य का बीमा एवं मृत्यु, दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा आदि से बीमा आदि कराकर बीमित किया जायेगा, जिससे अधिवक्ता आने वाले संकट के समय शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो सकेगा। (ख) साधारण सदस्य :- संस्था के सामान्य सदस्य को मत देने का अधिकार होगा, इसके अतिरिक्त संस्था के आजीवन सदस्य को को मिलने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ साधारण सदस्यों नहीं मिलेगा, और साधारण सदस्यों मिलने वाला लाभ समय समय पर जारी किया जायेगा। (ग) विशेष सदस्य - संस्था से जुड़ने वाले विशेष सदस्य को 2 वर्ष के लिए संस्था में संस्थापक की सहमति से मनोनीत किया जायेगा जो साहित्य, राजनीति, खेल विज्ञान एवं अन्य उच्च स्तर में दक्ष होगा, ऐसे सम्मानित व्यक्ति 2 वर्ष के लिए संगठन में उन्हें एक विशिष्ट सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदों से सम्मानित किया जाएगा। तथा ऐसे सदस्य कम से कम ₹11000 संस्था के कोष में दान करेंगे तथा संस्था में तन मन धन से सहयोग करेंगे तथा इसमें संस्था के संस्थापक/संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी। (घ) ईडब्ल्यूएस सदस्य:- यह अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के साथ आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ता सदस्य को संगठन ईडब्ल्यूएस सदस्य की सदस्यता प्रदान करता है इस श्रेणी में सदस्य को बीपीएल कार्ड की प्रति या अधिवक्ताओं को आय का प्रमाण दाखिल करना होगा जिसके तहत विशेष छूट सदस्यता शुल्क ₹251 है, कृपया ध्यान दें कि अवधि एक वर्ष की होगी और अधिवक्ताओं के लिए इस सदस्यता हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र और बीपीएल कार्ड दाखिल करना होगा।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन के सदस्य के अतिरिक्त अन्य अधिवक्ता गण एवं अन्य नागरिक भी उपरोक्त संस्था में अपना योगदान दे सकते हैं ऐसे विशेष व्यक्ति जो संस्था को ₹1000/रुपये से अधिक की धनराशि अनुदान करेंगे ऐसे विशेष व्यक्ति को संस्था के संस्थापक की पूर्ण सहमति एवं लिखित स्वीकृति से 2 वर्ष के लिए संगठन में किसी भी स्तर पर किसी भी विशेष पद पर सम्मानित किया जा सकता है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन का विभिन्न स्तरों पर संयुक्त खाता - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रत्येक स्तर पर उनके अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त खाता खोला जायेगा जो समय समय पर वर्तमान पदाधिकारियों के नाम से परिवर्तित होता रहेगा और लेन देन के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा और अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त खाता खुलवाने के लिए संस्थापक/संरक्षक लिखित सहमति आवश्यक होगी।

(4) संगठन के युवा एवं महिला प्रकोष्ठ जिनकी पद संख्या कम एवं ज्यादा हो सकती है। इसके अतिरिक्त भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर भी कार्यकारिणी बनाई जा सकती है और विभिन्न स्तर पर अन्य प्रकोष्ठ भी बनाए जा सकते हैं।।

(5) इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त अधिवक्ता गणों को केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए के ग्रुप , मृत्यु एवं स्वास्थ्य बीमा से बीमित कराया जाएगा और इस दायरे में अधिवक्ता के अलावा अधिवक्ता के माता पिता पत्नी तुम दो बच्चों को रखा जाएगा।

<u>संगठन की चुनाव प्रक्रिया:-</u>

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर श्रेष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति/निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन या नियुक्ति संस्थापक/संरक्षक द्वारा की जायेगी। या चुनाव में संस्थापक/संरक्षक की सहमति आवश्यक है।

संगठन में महाभियोग प्रक्रिया- किसी भी सदस्य को उसके पद सेहटाने के लिए 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, इसके लिए संस्थापक/सरंक्षक की अनुमति आवश्यक है।

संस्था द्वारा सदस्यों के कार्यों की जॉच एवं निरीक्षणः- संस्था में किसी भी तरह की जांच के लिए 11 सदस्यों की टीम गठित की जायेगी और जांच के बाद अध्यक्ष एवं महासचिव की सहमति से कोई निर्णय लिया जायेगा तथा विशेष परिस्थितियों में संस्थापक का निर्णय मान्य होगा।

पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए संस्थापक की अनुमति आवश्यक होगी।

संगठन बजट और कार्यक्रम योजनाएं

अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण सर्वसम्मति से वार्षिक बजट एवं वार्षिक कार्यक्रम योजनाओं को अंतिम रूप देंगे, इसके लिए संस्था के संस्थापक/ सरंक्षक की सहमति अनिवार्य है।

संगठन का कोष और लेखा व्यवस्था

राष्ट्रीय बैंकों एवं डाकघरों में विभिन्न स्तरों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, संभाग, जिला, तहसील आदि पर अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष सम्मिलित रूप से संयुक्त खाता खोलेंगे और खाता खोलने के लिए संस्थापक/ सरंक्षक की सहमति अनिवार्य है।

संगठन का ऑडिट

उपरोक्त बिंदु के आधार पर विभिन्न स्तरों पर वर्ष के अंत में योग्य सीए या ऑडिटर द्वारा संगठन काऑडिट किया जाएगा।

कर्तव्य

संगठन के खिलाफ या किसी सदस्य के विरुद्ध किसी भी अदालत के विवाद आदि में अध्यक्ष या विभिन्न स्तरों पर ऐसे मुद्दों की देखभाल के लिए नियुक्त जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा और विशेष परिस्थितियों में संस्था का संस्थापक/ संरक्षक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

बैठक

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर 4 बैठकें अनिवार्य हैं। लेकिन मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक या न्यायालय स्तर पर हर महीने एक बैठक अनिवार्य है।

बैठक समारोह इत्यादि की सूचना की जानकारी

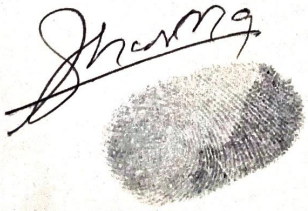

प्रत्येक स्तर पर बैठक की सूचना अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिन पूर्व एवं विशेष परिस्थितियों में 10 दिन पूर्व मंडल, जिला, ब्लॉक, न्यायालय, तहसील स्तर पर अधिकतम 15 दिन पहले और विशेष परिस्थितियों में 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी और विशेष परिस्थितियों में संस्थापक की सहमति से 24 घंटे पूर्व बैठक की व्यवस्था की जा सकती है कृपया ध्यानदें कि सूचना उपयुक्त संचार माध्यम द्वारा प्रदान की जाएगी।

संगठन में रिक्त पदों की नियुक्ति

संस्थापक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, व् अन्य स्तरों पर अध्यक्ष, महासचिव और संस्थापक के साथ-साथ सहायक टीम की सहमति से संगठन में रिक्त पदों की नियुक्ति की जाएगी ।

सदस्यता का अंत

1. सदस्य की मृत्यु अथवा

2. मानसिक अस्थिरता या दिवालिया होने की स्थिति में अथवा

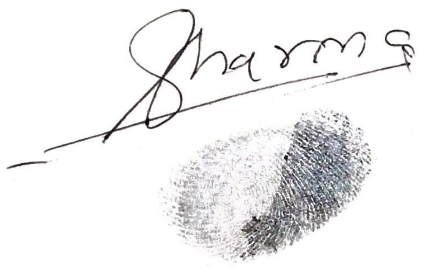

आवेदन सं०: 202200755069545

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 167 | वर्ष: 2022

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 320

श्री सुधीर कुमार शर्मा ,
पुत्र श्री स्व० कृष्ण मुरारी शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी. हस्तपुर थाना इगलास जिला अलीगढ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 31/12/2022 एवं 04:40:02 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार
उप निबंधक, सदर तृतीय
अलीगढ़
31/12/2022

राकेश कुमार यादव
निबंधक लिपिक
31/12/2022

प्रिंट करें

३ भ्रष्ट आचरण केमामले में या संगठन के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अथवा

४ सदस्यता शुल्क जमा न करने की स्थिति में अथवा

५ संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव को सूचित किए बिना या बिना किसी कारण के ३ बैठकें न करने के मामले में अथवा

६ किसी भी स्तर पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में संस्थापक, अध्यक्ष एवं महासचिव की सहमति से सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। अथवा

७ त्यागपत्र देने की स्थिति में उच्चाधिकारी की सहमति के बाद ही सदस्यता समाप्त मानी जायेगी

विशेष परिस्थितियों में संस्थापक या संरक्षक किसी व्यक्ति को पद नाम और संगठन से नियुक्त या हटा सकते हैं

आवेदन सं०: 202200755069545

बही सं० 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 167 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री सुधीर कुमार शर्मा, पुत्र श्री स्व० कृष्ण मुरारी शर्मा

निवासी हस्तपुर थाना इगलास जिला अलीगढ

व्यवसाय अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री रजत शर्मा , पुत्र श्री पुरषोत्तम शर्मा

निवासी 5/764, गिउलर रोड, शिवराज नगर, कोल अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सनी खंडेलवाल , पुत्र श्री अनिल खंडेलवाल

निवासी 531, भामोला सिविल लाइन्स, कोल अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार
उप निबंधक : सदर तृतीय
अलीगढ़
31/12/2022

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

राकेश कुमार यादव
निबंधक लिपिक अलीगढ़
31/12/2022

प्रिंट करें

फोटो प्रमाणिकर्ता -स्वयं पक्षकारान

गवाह
रजत शर्मा पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा निवासी 5/764
गिउलर रोड शिवराज नगर कोल अलीगढ।
मो०नं 9634822978

गवाह
सनी खंडेलवाल पुत्र श्री अनिल खंडेलवाल
निवासी 531 आमोला सिविल लाइन्स
कोल अलीगढ। मो०नं 9568054727

तहरीर तारीख - 31-12-2022
टंकणकर्ता - जीत सिहं तहसील कोल अलीगढ।
मजमून नवीस - निर्मलकान्त मिश्रा एडवोकेट तहसील कोल जिला अलीगढ व इकरारे पक्षकारान लिखा गया है।

NIRMAL KANT MISHRA
ADVOCATE
TEHSIL-KOIL ALIGARH

आवेदन सं०: 202200755069545

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 111 के पृष्ठ 13 से 56 तक क्रमांक 167 पर दिनाँक 31/12/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार ..
उप निबंधक : सदर तृतीय
अलीगढ़
31/12/2022